न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 केम्प–
पीठासीन अधिकारी :– नारायण लाल जीनगर, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 182/2023 राजस्व वाद
हमीर पुत्र श्री भागीरथ कुमावत आयु 59 वर्ष निवासी– गोविन्दपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —— वादी

बनाम

1. छगना देवी पुत्री श्री हमीर कुमावत आयु 52 वर्ष निवासी– गोविन्दपुरा हाल निवासी– छाजवो का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. सोहन लाल पुत्र श्री हमीर कुमावत गोदपुत्र लालूराम कुमावत आयु 53 वर्ष निवासी– गोविन्दपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–
1. वादी ——स्वय
2. प्रतिवादी संख्या 01 एंव 02 ——स्वयं
3. तहसीलदार, करेड़ा ——पेरोकार सरकार

दिनांक–27.4.2023

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88,89 आर.टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1208/576 बारह सौ आठ/पांच सौ छिहेतर रकबा 0.0759 हैक्टयर कुल किता 01 एक रकबा 0.0759 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है।वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित भूमि वादी के नाम पर दर्ज भूमि जो वादी को आंवटित भूमि है, जिसमे खातेदारी के मिलने के बाद वादी ने कुल रकबा 0.1012 हैक्टयर मे से 0.0253 हैक्टयर विकय की गयी व अवशेष आराजी नम्बर 1208/576 रकबा 0.0759 हैक्टयर भूमि मुझ वादी के नाम पर अंकित की गयी। मुझ वादी की उक्त खातेदारी भूमि वादी के नाम पर [illegible] आ रही है व वादी जो कि जीवित है। मुझ वादी हमीर पुत्र श्री भागीरथ कुमावत नाम के 2 अलग अलग व्यक्ति [illegible] जिसमे मे स्वय वादी जीवित होकर काबिज हूँ व अन्य प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 दो के पिता का नाम भी हमीर पुत्र श्री भागीरथ कुमावत होकर उसकी मृत्यु होने पर राजस्व कर्मचारीयो की लापरवाही के कारण वादी [illegible] वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.08.12 14:37:15 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित आराजियात जो कि प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 के नाम पर दर्ज कर दी, जो गलत है। वादी पुनः राजस्व रेकार्ड मे उक्त भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी संवत 2058–2061 खाता संख्या 303, सवंत 2062 से 2065 की खाता संख्या 312, संवत 2066–2069 खाता संख्या 329, संवत 2074 से 2077 खाता संख्या 404 व संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 368 की प्रतिया हमराह वाद पेश है। वादी को हाल ही मे दिनांक 01 फरवरी 2023 दो हजार तैबीस को पटवारी के पास जाने पर वादी का नाम दर्ज नही होने व प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 दो के नाम पर दर्ज होने व इसके पश्चात राजस्व रेकार्ड की जानकारी करने व नकले प्राप्त होने पर उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई व इसके पश्चात वादी द्वारा प्रतिवादीगण को राजस्व रेकार्ड मे गलत इन्द्राज को दुरूस्त करा, प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 का नाम विलोपित करा, वादी के नाम पर दर्ज करने हेतु निवेदन किया , लेकिन दिनांक 20 अप्रेल 2023 दो हजार तैबीस को सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की हिदायत दी व उक्त भूमि को वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज करने का निवेदन किया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी स्वयं उपस्थित हुए व मामले मे इकबालिया जवाब पेश किया गया व उक्त भूमि उनके नाम पर गलत तौर पर अभिलिखित होने से वादी के नाम पर दर्ज करने का निवेदन किया।

मामले मे वादी द्वारा अपनी साक्ष्य का शपथपत्र पेश किया गया व मामले मे जमाबंदी संवत 2058–2061, जमांबदी संवत 2062–2065, जमाबंदी संवत 2066–2069, जमाबंदी संवत 2070–2073, जमाबंदी संवत 2074–2077 की प्रतिया पेश की गयी।

वादी पक्ष द्वारा उपर्युक्त शीर्षक के प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा मय शपथपत्र का हमने पटवार हल्का की रिपोर्ट एंव राजस्व अभिलेखो के परिप्रेक्ष्य मे सावधानी पूर्वक अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद मे अंकित ग्राम गोविन्दपरा की आराजी नम्बर 1208/576 रकबा 08 बिस्वा भूमि वादी की खातेदारी की होकर जमाबंदी संवत 2065–2068 के खाता संख्या 312 मे अंकित थी, बाद मे वादी द्वारा अलग अलग भूमि 02 बिस्वा विक्रय कर देने के पश्चात 0.06 हैक्टयर यानि 0.0759 हैक्टयर भूमि अवशेष रही, इसी ग्राम मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 के पिता का नाम खातेदार हमीर पुत्र श्री भागीरथ कुमावत नाम के दो व्यक्ति होने से दोनो की भूमि का एक ही खाते मे जमाबंदी मे शामिल हो जाने एंव बाद मे विरासत से खाता खुल जाने से वादी की खातेदारी आराजी नम्बर 1208/576 रकबा 0.0759 हैक्टयर प्रतिवादी संख्या 01 एंव 02 दो के नाम अंकित हो गयी। वादी की उक्त भूमि को पुनः खातेदारी मे दर्ज करने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर वादपत्र को स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट मे जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी को खातेदार घौषित करके एवं प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 का नाम हटाने हेतु स्वीकार किया है। अतः वादी को खातेदार घौषित किया जाना उचित है।

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1208/576 रकबा 0.0759 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 का नाम विलोपित कर वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.08.12 14:37:15 IST
Reason: SelfAttested

हमीर पुत्र श्री भागीरथ कुमावत साकिन गोविन्दपुरा को खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है, तद्नुसार राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम पर भूमि दर्ज की जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 27-4-2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नारायण लाल जीनगर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.08.12 14:37:15 IST
Reason: SelfAttested